प्रेस विज्ञप्ति-14.09.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा चौकी धरौली का रात्रि में किया गया औचक निरीक्षण, सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

दिनांक 13/14.09.2024 की रात्रि में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा चौकी धरौली का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें चौकी परिसर, कार्यालय, ड्यूटी आदि का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रिकॉर्डों को अद्यावधिक करने,शौचालय में साफ-सफाई व पानी की व्यवस्था तथा साफ सफाई रखने से संबंधित आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए।

इसी दौरान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया कि चौकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण चौराहों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग को प्रभावी बनाने के लिए। तथा एचएस चेकिंग, लम्बित विवेचनाओ को गुणदोष के आधार पर निस्तारण व वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। आगन्तुक रजिस्टर चेक करते हुए चौकी में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का प्रमुखता से निस्तारण करने के लिए आदेश दिए। साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने हेतु व मौजूदा पुलिस कर्मचारियों से कामकाज के बारे में जानकारी ली गई। चौकी क्षेत्रों में रात्रिकालीन गश्त, बैरियर चेकिंग एवं वाहन चेकिंग को तेज कर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित को निर्देशित किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक-14.09.2024

थाना इलिया जनपद चंदौली

□थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा 01वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा वांछित अभियुक्तो के गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक आपरेशन व क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक इलिया हरिश्चन्द्र सरोज के कुशल नेतत्व में थाना इलिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 87/2024 धारा 137(2)/87 बी0एन0एस0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त ओंम प्रकाश सेठ पुत्र गोपाल सेठ उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम गंगापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी हालपता कस्बा इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली को खरौझा नहर पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

ओंम प्रकाश सेठ पुत्र गोपाल सेठ उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम गंगापुर थाना रोहनिया जनपद वाराणसी हालपता कस्बा इलिया थाना इलिया जनपद चन्दौली

पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक हरिश्चन्द्र सरोज थाना इलिया जनपद चन्दौली।

2.उ0नि0 भोला सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

3.का0 सत्येन्द्र गुप्ता थाना इलिया जनपद चन्दौली।

4.का0 बृजेश कुशवाहा थाना इलिया जनपद चन्दौली।

5.का0 आलोक सिंह थाना इलिया जनपद चन्दौली।

6.म0का0 बबिता पाल थाना इलिया जनपद चन्दौली।

प्रेसनोट दिनांक-14.09.2024

थाना कंदवा जनपद चंदौली

□थाना कन्दवा पुलिस द्वारा द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार जनपद में वांछित अभियुक्त/वारण्टियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर राजेश राय के कुशल पर्वेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक कंदवा हरिनारायण पटेल के कुशल नेतत्व में थाना कन्दवा पुलिस टीम द्वारा अ0सं0 70/2023 धारा 380/457/411 भा0द0वि व अ0सं0 71/2023 धारा 411/414 भा0द0वि0 से सम्बंधित एनबीडब्लू वारण्टी दुर्गा राम पुत्र सुरेश राम निवासी ग्राम बकौडी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष को उनके घर के बाहर सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार वारण्टी-

दुर्गा राम पुत्र सुरेश राम निवासी ग्राम बकौडी थाना कन्दवा जनपद चन्दौली उम्र 22 वर्ष

गिरफ्तारी में पुलिस टीम का विवरण-

1.उ0नि0 बैजनाथ राम थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

2.का0 अजय कुमार थाना कन्दवा जनपद चन्दौली

□थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना कन्दवा में जिलाधिकारी-पुलिस अधीक्षक ने सुनी फरियादियों की समस्या।

□जन सुनवाई के दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों/शिकायतों में से कुछ का मौके पर ही किया गया निस्तारण।

□अन्य प्रकरणों/शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध निस्तारण हेतु पुलिस व सम्बन्धित विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया।

□प्राप्त शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा समस्त अधिकारी एवं थाना प्रभारीगण को दिए गए हैं स्पष्ट- निर्देश।

□सभी को स्पष्ट निर्देश कि थाना समाधान दिवस में आने वाली शिकायतों को समय सीमा के भीतर भौतिक सत्यापन के साथ करें निस्तारित।

चन्दौली- चन्दौली जिले के सभी थानों में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें पुलिस और भूमि विवाद से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई।इसी क्रम में जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे व पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे की अध्यक्षता में थाना- कन्दवा में फरियादियों की समस्याओं व शिकायतों को सुनकर निर्धारित समयावधि के अंदर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने राजस्व कर्मियों एवं थाना प्रभारी को निर्देशित करते हुए कहा कि तहसील एवं थाना से शिकायतों को चिन्हित कर टीम गठित करते हुए प्राथमिकता पर निस्तारण हो। पुलिस अधीक्षक ने शिकायत पंजिका का अवलोकन किया। साथ ही पुराने पंजीकृत प्रार्थना पत्रों की प्रकरणों में गंभीरता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जमीन/राजस्व से सम्बंधित सभी प्रकरणों में पुलिस व राजस्व की टीमों द्वारा संयुक्त रुप से प्रकरण का जांच व निस्तारण किया जा रहा। जिससे फरियादियों को अलग-अलग भटकना न पड़े व प्रकरणों का त्वरित व न्याय पूर्ण निस्तारण हो सके। जमीन सम्बंधित थाना स्तर, आइजीआरएस या अन्य सभी माध्यमों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों को थाना समाधान दिवस रजिस्टर में अंकित कर एवं दोनों पक्षों को सूचित करते हुए पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर प्रकरण का निस्तारण करते हुए रिपोर्ट आख्या दोनों पक्षों के समक्ष ही बना कर उनके हस्ताक्षर कराये जा रहे। थाना समाधान दिवस के दौरान थाना प्रभारी कन्दवा, सहित अन्य राजस्व व पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

आज थाना समाधान दिवस के दौरान राजस्व सम्बन्धित 57 व पुलिस सम्बन्धित-14 कुल-71 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जिनके निस्तारण के लिए तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित भी किया गया।

□श्री आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपदीय एटीरोमियो पुलिस टीम द्वारा मनचलों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए चलाया गया विशेष अभियान।

□जनपदीय एंटी रोमियों पुलिस टीम द्वारा सादे वस्त्र में बसों में महिलाओं/बालिकाओं के साथ छेड़खानी करने वाले मनचलों की जा रही है निगरानी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थानाक्षेत्रों में एंटी रोमियो पुलिस टीम द्वारा मनचलों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपदीय एंटी रोमियो पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र की बसों में व विद्यालय के बाहर सादे वस्त्र में मनचलों की निगरानी करते हुए जो महिलाओं/छात्राओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, उनके ऊपर गंदी नजर रखने वाले मनचलों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

यातायात पुलिस चंदौली

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम ने चलाया विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज दिनांक 14.09.2024 को कुल 135 वाहनों का चालान करते हुए 1,74,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस पर आ रहे ऑटो का भी किया जा रहा चालान

□यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14.09.2024 जनपद में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 135 वाहनों का चालान करते हुए 1,74,000/- ₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार   चालान की संख्या

1 मोटरसाइकिल पर तीन सवारी-05

2. बिना हेलमेट-83

3. नो पार्किंग-21

4. गलत दिशा में वाहन चलाना-08

5. गलत नंबर प्लेट- 04

6. मोबाइल फोन का प्रयोग वाहन चलाते समय- 01

7. बिना सीटबेल्ट- 02

8. ड्राइविंग लाइसेंस ना होना-04

9.बिना इंसोरेंस वाहन चलाना-04

9. बिना परमिट- 02

10. अन्य- 01

यातायात नियमों के उलंघन में आज दिनांक 14.09.2024 को की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-135

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-1,74,000/- रूपयें।

पुलिस अधीक्षक चंदौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना जनपदीय पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

जनपद के चार थानो की पुलिस टीम द्वारा पशु तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध की गयी बडीं कार्यवाही, 05 पिकअप वाहनों से कुल 31 गोवंशीय पशु को बरामद करते हुए 07 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार

चन्दौली –श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, डॉ0 ओम प्रकाश सिंह पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी व पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन में जनपद के रास्ते विभिन्न राज्य व जनपदों में पशुओं की तस्करी करने वाले अपराधियों के प्रति कड़ा रूख अपनाते हुए पशु तस्करो के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) अनिल कुमार यादव, अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) विनय कुमार सिंह के मार्गदर्शन में व जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में तथा जनपद के समस्त थाना प्रभारी की प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 14.09.2024 को 05 पिकअप वाहनों से कुल 31 गोवंशीय पशु को बरामद करते हुए 07 शातिर पशु तस्कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

थाना अलीनगर-

अलीनगर पुलिस टीम द्वारा एक पिकअप वाहन में क्रूरता पूर्वक लादकर वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जा रहे कुल 10 अदद (01 जिन्दा व 09 अदद मृत गाय) गोवंश बरामद

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 14.09.2024 को उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन की चेंकिग व गश्त के दौरान गोधना चौराहे पर आया था कि मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक महिन्द्रा पिकअप सफेद रंग की जिसका वाहन नम्बर UP 63H 9179 है जो वाराणसी के तरफ से आने वाली है।जिस पर गोवंश लदे है, जो वध हेतु बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल ले जाये जा रहे है। इस सूचना पर विश्वास कर NH-19 हाईवे सिंधिताली पुल पर वाराणसी की तरफ से आने वाली गाडियों को एक एक कर रोक कर छोडां जा रहा था कि तभी अचानक एक महिन्द्रा पिकअप आता दिखाई दिया गया ।चेकिंग कर रही पुलिस टीम को देख वाहन ड्राईवर ने करीब 100 मीटर पहले ही खडा कर के भागने लगे।पिकअप की तलाशी ली गई तो पिकअप से कुल 10 राशि गोवंश (01 जिन्दा व 09 अदद मृत गाय) जिनको क्रूरता पूर्वक बांधकर लादा हुआ पाया गया। बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु.अ.सं. 228/24 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम तथा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व 325

बीएनएस बनाम वाहन संख्या UP63H9179 का चालक नाम पता अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रीम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। मौके से फरार वाहन चालक / स्वामी की तलाश की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

1.एक वाहन पिकअप संख्या UP63H9179

2.कुल 10 राशि गोवंश (01 अदद जिन्दा व 09 अदद मृत गाय)

गिरफ्तारी / बरामदगी में शामिल पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्र थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.उ.नि. अमित कुमार सिंह चौकी प्रभारी भूपौली थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

3.का0 शैलेन्द्र कुमार थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

4.का0 शैलेन्द्र कुमार-2 थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना नौगढ़-

थाना नौगढ़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान जयमोहनी पोस्ता के पास से 01 पिकअप वाहन में क्रूरतापूर्वक लादकर वध हेतु ले जा रहे 07 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 शातिर पशु तस्करों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 14.09.2024 को थानाध्यक्ष कृपेन्द्र प्रताप सिंह मय टीम के द्वारा जय़मोहनी पोस्ता से 07 राशि गोवंश को क्रूरता पूर्वक पिकअप में लादकर वध हेतु बिहार ले जाते समय किया गया एक चापड के साथ बरामद किया गया व 02 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय प अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पंजीकृत अपराधिक इतिहास – 1.मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 थाना नौगढ,चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1.दवन कुमार यादव पुत्र श्याम सुन्दर यादव नि0 ग्राम सिरसी थाना चैनपुर जनपद भभुआ विहार उम्र 21 वर्ष

2.वाहन स्वामी नागेन्द्र खरवार पुत्र सुखलाल खरवार निवासी सरईगढ़ थाना रायपुर जनपद सोनभद्र उम्र 31 वर्ष

बरामदगी –

1.07 राशि गोवंश

2.एक पिकअप UP 64 CT 0252

3.एक चापड

बरामदगी/ गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण -

1. थानाध्यक्ष श्री कृपेन्द्र प्रताप सिंह थाना नौगढ जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 श्री मनोज कुमार यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
3. हे0का0 सुरेन्द्र चौहान थाना नौगढ जनपद चन्दौली
4. का0 विशाल यादव थाना नौगढ जनपद चन्दौली
5. का0 सतीश यादव नौगढ जनपद चन्दौली

थाना बलुआ-

थाना बलुआ पुलिस द्वारा 05 अन्तर्राज्यीय गौ-तस्कर गिरफ्तार जिसके कब्जे से अवैध चापड व 03 राशि गोवंश व 02 पिकअप की सफल बरामदगी

थाना बलुआ पुलिस जनपद चन्दौली द्वारा बलुआ तिराहा के पास से 02 अदद पिकप (मौजिक) वाहन में क्रूरता पूर्वक बांधकर लादकर परिवहन किये जा रहे 03 राशि गोवंश को बरामद किया गया तथा मौके से अभियुक्तगण 1.मंगल गौंड उर्फ मीनू गौंड पुत्र प्रमोद गौंड निवासी ग्राम सलामतपुर (बिसापुर) थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष 2. परवेश खरवार पुत्र पन्ना लाल खरवार निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 20 वर्ष 3. हरिकिशुन गुप्ता पुत्र घरभरन गुप्ता निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष 4. गोविन्द विश्वकर्मा पुत्र विरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम सर्वानन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष 5. रविरंजन मिश्रा पुत्र स्व0 शेषनाथ

मिश्रा निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-160/2024 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट कर आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ:-गिरफ्तार अभियुक्तो से पूछताछ में बताया कि गोवंशो को एकत्र कर ग्राम मोहाय से लादवाकर कल्याणपुर मण्डी विहार ले जाकर वध हेतु अच्छे दामों पर बेचते हैं। जिससे उनकी अच्छी खासी आमदनी होती है। जिसके पैसों से अपना विलासितापूर्ण जीवन व्यातीत करतें हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.मंगल गौंड उर्फ मीनू गौंड पुत्र प्रमोद गौंड निवासी ग्राम सलामतपुर (बिसापुर) थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 23 वर्ष

2. परवेश खरवार पुत्र पन्ना लाल खरवार निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 20 वर्ष

3. हरिकिशुन गुप्ता पुत्र घरभरन गुप्ता निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 25 वर्ष

4. गोविन्द विश्वकर्मा पुत्र विरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम सर्वानन्दपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष

5. रविरंजन मिश्रा पुत्र स्व0 शेषनाथ मिश्रा निवासी ग्राम बंशीपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त मंगल गौंड उर्फ मीनू गौड का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-160/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त परवेश खरवार का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-160/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त हरिकिशुन गुप्ता का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-160/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त गोविन्द विश्वकर्मा का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-160/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अभियुक्त रविरंजन मिश्रा का आपराधिक इतिहास

1.मु0अ0सं0-160/24 धारा:- 3/5A/5B/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रू0 नि0 अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बलुआ जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी का स्थानः-ग्राम बलुआ तिराहा थाना बलुआ जनपद चन्दौली

विवरण बरामदगीः-

1.02 पिकप(मैजिक) -1.वाहन सं0 UP67AT3642, 2.वाहन सं0 UP67T5501

2.03 राशि जिन्दा गोवंश (02 राशि गाय व 01 राशि बछड़ा)

3.01 चापड

4.05 मोबाइल(01 अदद सैमसंग रंग लाइम ब्लू, 01 अदद VIVO मोबाइल रंग नीला, 01 अदद आनर मोबाइल फोन रंग नीला, 01 अदद ओप्पो रंग नीला,01 अदद टेक्नो स्पार्क कम्पनी का रंग नीला)

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीमः-

1.थानाध्यक्ष अशोक कुमार मिश्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अभिषेक शुक्ला थाना बलुआ जनपद चन्दौली मय हमराह

3.का0 रवि कुमार गौतम थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.का0 सुभाषचन्द्र थाना बलुआ जनपद चन्दौली

थाना सैयदराजा-

सैयदराजा पुलिस टीम द्वारा 01 पिकअप वाहन में वध हेतु क्रूरता पुर्वक लादकर तस्करी कर ले जाए जा रहे कुल 11 राशि गोवंशों जिसमें (05 गाय राशि ,02 राशि साड़, 02 राशि बैल,01 राशि बछड़ा, 01 राशि बछिया) बरामद किया गया।

पुलिस कार्यवाही- आज दिनांक 14.09.2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव मय हमराह चेकिंग के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप जिसमें कुल 11 राशि गोवंशो को क्रूरता पुर्वक बाँधकर वध हेतु पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा है प्राप्त सूचना पर उ.नि. ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा भगवानपुर फाटक के पास चेकिंग के दौरान एक पीकअप वाहन से कुल 11 राशि गोवंशों को बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 165/2024 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता निवारण अधिनिमय का अभियोग पंजीकृत किया गया था बरामदगी के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

1. एक अदद पीकप वाहन संख्या अज्ञात

2. 11 राशि गोवंशों जिसमें (गाय 05 राशि ,02 राशि साड़,02 राशि बैल,01 राशि बछड़ा, 01 राशि बछिया)

बरामदगी मे पुलिस टीम का विवरण –

1.निरीक्षक मुकेश कुमार तिवारी-प्रभारी निरीक्षक सैयदराजा जनपद चन्दौली

2.उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव थाना सैयदराजा चन्दौली।

3.हे0का0 गयाप्रसाद थाना सैयदराजा चन्दौली।

4.का0 प्रमोद कुमार थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

5.का0 अजय पटेल थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक:14.09.2024

थाना मुगलसराय जनपद चंदौली

मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा बैंक के आस पास टप्पेबाजी करने वाला शातिर अभियुक्त एक आर्टिका कार के साथ किया गया गिरफ्तार।

चंदौली:- पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिह एवं क्षेत्राधिकारी पीडीडीयू नगर आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक मुगलसराय विजय बहादुर सिंह के कुशल नेतृत्व में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में मुगलसराय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली बनाम अज्ञात अभियुक्तगण जिसमें अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को प्रलोभद देकर बेइमानी से 50000 रुपये ले लिये । जिसमे उपरोक्त अज्ञात अभियुक्तगण की सुरागरसी पतारसी किया जा रहा था कि मुखबिर द्वारा बताया कि दिनांक 06/80/2024 को बैंक आफ इण्डिया नई बस्ती चन्धासी मे हुयी घटना से सम्बन्धित वाहन और अभियुक्त कोयला मण्डी चन्धासी हनुमान मन्दिर के पास पोखरे के सामने किसी घटना को अंजाम देने के लिये खड़े है । मुखबिर द्वारा बताये गये वाहन की तरफ पुलिस टीम जैसे आगे बढ़ी कि चालक गाडी को स्टार्ट करके भागना चाहा जिसे मौके पर ही घेर कर पकड़ लिया गया । पकडे गये गये व्यक्ति की पहचान साजिद खान पुत्र सलीम खान निवासी गुसियारी थाना मौदहा जनपद हमीदपुर हाल पता –ब्लाक नं0- 9G सेक्टर 06 भिलाई जनपद दुर्ग छत्तीगढ के रुप मे हुई। गिरफ्तारी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

पूर्व की घटना:-दिनांक 06.08.2024 को वादी किशोरी लाल पुत्र स्व0 सल्ली राम ग्राम जफरपुर मुगलसराय चन्दौली द्वारा तहरीर दी गई कि वह बैंक आफ इन्डिया में पैसा निकालने गए थे पैसा निकालने के ठीक बाद ही दो व्यक्ति बैंक में मिले और मुझे प्रलोभन देकर बैक से कुछ दूर ले जाकर बात मे भरमाकर मेरे झोले को लेकर 50000 रु० उसमें से निकाल कर कागज की गड्डी बना हुआ उसमे रख दिये और उसके बाद झोला मुझे देकर चले गये जब हम झोले की देखा तो गड्डी जैसा महसूस हुआ इसलिए हम झोले को लेकर घर पहुंच कर जब पैसा खोलने लगे तो कागज की गड्डी मिली। उपरोक्त तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय पर मु0अ0सं0 312/2024 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही प्रचलित थी।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त साजिद खान से पूछा गया तो बताय कि दिनांक 06.08.24 को मै और मेरे साथी 1.अभिषेक कुमार उर्फ लम्बू पुत्र राममोहन यादव निवासी पूरे लऊ पोस्ट बरारा बुजुर्ग थाना डलमऊ जनपद रायबरेली 2. बटलर पुत्र अज्ञात निवासी फतेहपुर 3. नीरज नाम पता अज्ञात 4. प्रदीप पुत्र अज्ञात निवासी सुल्तानपुर के साथ BOI मुगलसराय में इसी अर्टिका कार संख्या GJ03JL7479 से आये थे। मै, नीरज व प्रदीप बैंक के नजदीक इसी गाड़ी मे थे अभिषेक यादव उर्फ लम्बू तथा बटला बैंक के अन्दर गये थे, और एक व्यक्ति को अपनी बातो मे बहला फुसलाकर बैंक के बाहर थोड़ी दूर ले जाकर नकली कागज की गड्डी रूमाल मे बांधकर दिये और उसके बदले असली 50,000 रूपया धोखा देकर ले लिया था औऱ हम लोगो ने आपस मे बांट लिया था। आज फिर उसी तरह की घटना करने हेतु अन्य बैंको की रेकी करने आया था कि आप लोगो ने पकड़ लिया।

बरामदगी-

एक अदद आर्टिका कार GJ03JL7479 तथा 2600 रूपये व आधार व पैन कार्ड।

नाम पता अभियुक्त-

साजिद खान पुत्र सलीम खान निवासी गुसियारी थाना मौदहा जनपद हमीरपुर हाल पता –ब्लाक नं0- 9G सेक्टर 06 भिलाई जनपद दुर्ग छत्तीगढ तथा पल साना राज मदीना पैलेस थाना पलसाना जिला सूरत उम्र करीब 32 व

आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0स0 617/16 धारा 406/419/420 भादवि थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

2.मु0अ0सं0 312/2024 धारा 318(4)/303(2) बीएनएस थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक विजय बहादुर सिंह थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

2.म0उ0नि0 खुशबू यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

3.हे0का0 अनूपर राय थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

4.का0 रोहित यादव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली

5.का0 धर्मराज थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

प्रेस नोट दिनांक 14.09.2024

जनपद चन्दौली

➡️ श्री आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में दहशत का पर्याय बने आपराधियो पर जनपदीय पुलिस की बड़ी कार्रवाई ।

➡️आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशो पर चन्दौली पुलिस ने कसा शिकंजा, 12 अपराधियो पर की गयी हिस्ट्रीशीटर की कार्रवाई।

➡️ लूट, हत्या, गौ-तस्करी आदि प्रकार के अपराध को अंजाम देने वाले 12 अपराधियो की खोली गई हिस्ट्रीशीट

चन्दौली- जनपद में दहशत का पर्याय बने बदमाशों पर चन्दौली पुलिस ने सख्त कार्रवाई छेड़ दी है। विभिन्न थानों के 12 बदमाशों का आपराधिक इतिहास देखते हुए उनकी हिस्ट्रीशीट खोलने के साथ निगरानी भी पुलिस ने शुरू कर दी है। क्षेत्र में उनकी आपराधिक गतिविधियों व आपराध मे सक्रियता की भी जांच कराई जा रही है। ताकि, कोई भी हिस्ट्रीशीटर नई वारदात को अंजाम न दे पाए। अपराध में लिप्त अपराधियों को देखते हुए पुलिस ने अब नये सिरे से अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है थानें के अपराधियों का रिकार्ड खंगालकर उनके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने व गैंगस्टर आदि कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल कुमार यादव अपर पुलिस अधीक्षक (आप0),विनय कुमार सिंह अपर पुलिस अधीक्षक (सदर) व राजेश कुमार राय क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा, राजीव सिसौदिया क्षेत्राधिकारी चकिया, कृष्ण मुरारी शर्मा क्षेत्राधिकारी नौगढ़ के पर्यवेक्षण मे, अतुल कुमार थानाध्यक्ष चकिया, मिर्जा रिजवान बेग थानाध्यक्ष शहाबगंज, अशोक मिश्रा थानाध्यक्ष बलुआ, कृपेन्द्र प्रताप सिंह थानाध्यक्ष नौगढ व हरिनरायण पटेल थानाप्रभारी कंदवा के नेतत्व में थाना चकिया, थाना शहाबगंज, थाना बलुआ, थाना नौगढ व थाना कंदवा द्वारा थाना क्षेत्र में लूट, हत्या व गौ-तस्करी आदि प्रकार के अपराध करने वालो के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुये कुल 12 सक्रिय अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गयी।

➡ थाना चकिया

1.नंदू यादव पुत्र स्व पंचम यादव निवासी ग्राम जंगलचुड़िया थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

2.गणेश चौहान पुत्र राम अचल चौहान निवासी ग्राम बलिया खुर्द थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

3.हकडू उर्फ संजय यादव पुत्र सुदामा यादव निवासी मुसाहिबपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

➡ थाना शहाबगंज

4..कासिम पुत्र स्व नबीरसूल निवासी ग्राम केरायगांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

5.मो. जाविद पुत्र स्व नबीरसूल ग्राम केरायगांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

6.रामा पासवान पुत्र स्व जई पासवान निवासी ग्राम टिर्रो थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

7.मुन्ना पुत्र यासिन मियां निवासी ग्राम टिर्रो थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

8.आबिद पुत्र जब्बी निवासी ग्राम केरायगांव थाना शहाबगंज जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

➡️ **थाना बलुआ**

9.सुरेश यादव पुत्र बिशुन यादव निवासी ग्राम शेरपुर सरैया थाना बलुआ जनपद चन्दौली

अपराध- लूट,मारपीट,हत्या

➡️ **थाना नौगढ**

10.सुलाब पुत्र फूलचन्द्र निवासी ग्राम नरकटी थाना नौगढ जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

11.संजय उर्फ बुल्लू खरवार पुत्र हुबलाल खरवार निवासी ग्राम रिठिया थाना नौगढ जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

➡️ **थाना कंदवा**

12.इंदल बिंद पुत्र नरायण बिंद निवासी ग्राम मथुरापुर थाना कंदवा जनपद चन्दौली

अपराध- गौ-तस्करी करना

उपरोक्त अपराधी अपने कृत्यों से समाज में भय एवं आतंक का माहौल बनाकर आम जनता को आतंकित/भयभीत करने के साथ लूट, हत्या व गौ-तस्करी इत्यादि कृत्यों से अपने भौतिक, आर्थिक एवं दुनियाबी लाभ के लिए धन अर्जित किया जाता है। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए हिस्ट्रीशीट खोलने की कार्रवाई की गई है इन बदमाशों की क्षेत्र में सक्रियता पर भी पुलिस की बराबर नजर है। उनकी अन्य़ गतिविधियों आदि के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

प्रेस नोट दिनांक- 14.09.2024

जनपद चन्दौली

□ जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों के आस पास व सार्वजनिक स्थानों पर नशेबाजी करने वालों को खिलाफ चेकिंग व कार्रवाई अभियान

□ जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 11 शराबियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई।

चन्दौली:- सड़क, कार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना या शराब पीकर गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है, ऐसा करना आपके लिए और दूसरे के लिये खतरनाक साबित हो सकता है। यह जरूरी बातें सभी जानते हैं लेकिन जो नहीं मानते उनके लिये जनपद चन्दौली पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर उनके विरूद्ध कार्रवाई की गई।

चन्दौली में सार्वजनिक स्थानों पर खुले में शराब पीने, रंगबाजी, जुआ खेलने, स्टंट दिखाने, छेड़खानी करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई जारी है। अभियान में शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। एक बार से अधिक पकड़े जाने पर डिफॉल्टर्स का लाइसेंस भी निरस्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संवेदनशील जगह चिह्नित कर पुलिस ने उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति पर कार्यवाही की गई।

चन्दौली पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही ही नहीं कर रही बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों /शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा तथा आगे से मादक पदार्थों का सेवन न करने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली आदित्य लांग्हे ने बताया कि जनपद के समस्त अधिकारी व थाना प्रभारीगण को सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाते हुए कार्यवाही किये जाने के साथ ही लोगों को जागरूक किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं। यह अभियान निरन्तर पूरे जनपद में चलाया जाता रहेगा।

इसी क्रम में 14.09.2024 को समस्त थानों द्वारा धारा 292 BNS व पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत कुल 11 शराबियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 14.09.2024

जनपद चन्दौली

□पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में जनपदीय रेलवे स्टेशनों पर अवैध शराब/मादक पदार्थो के परिवहन के विरूद्ध चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान

चन्दौली- पुलिस अधीक्षक चन्दौली, श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशन में रघुराज, क्षेत्राधिकारी सकलडीहा के कुशल नेतृत्व में रमेश यादव प्रभारी निरीक्षक धीना के द्वारा जनपद चन्दौली में अवैध मादक पदार्थ तस्करी/अवैध शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु जनपद में थाना धीना रेलवे स्टेशनों पर सम्बन्धित थानों की पुलिस टीम, उत्तर प्रदेश राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) व रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) के साथ संयुक्त रूप से अवैध शराब / मादक पदार्थ के परिवहन के विरूद्ध कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया गया। अवैध शराब के विरूद्ध चन्दौली पुलिस द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त अभियान के क्रम में थाना धीना द्वारा रेलवे स्टेशन धीना पर सयुंक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया।